सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2013/09 दायर दिनांक 21.06.2013

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. पन्नागिरी पुत्र मुकनगिरी जाति गुसाई निवासी शिवनगरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान	बनाम्	1. प्रहलादगिरी दत्तक पुत्र प्रभुगिरी जाति गुसाई निवासी शिवनगरी 2. रामचन्द्र गिरी पुत्र मुकनगिरी 3. हेमगिरी पुत्र मुकनगिरी 4. गाविन्द गिरी पुत्री मुकनगिरी समस्त जाति गुसाई 5. तिलोक गिरी पुत्र रूपगिरी 6. चीमनगिरी पुत्र रूपगिरी 7. द्वारका गिरी पुत्र अर्जुनगिरी जाति गुसाई 8. भैरूगिरी पुत्र पुरखागिरी 9. चतरगिरी पुत्र उम्मेद गिरी दत्तक पुत्र डालगिरी पुत्र चतरगिरी 10.नारायणगिरी पुत्र उम्मेद गिरी जाति गुसाई निवासी शिवनगरी तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) **R.T. Act.**

उपस्थितः—

1. पक्षकारान।

—:: निर्णय ::—

दिनांक— **16.06.2017**

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थी अपने खेत खसरा सं0 205/30 रकबा 04 बीघा जो मौजा शिवनगरी में स्थित है उक्त खसरा नं0 205/30 में वर्तमान में मेरे खेत तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता नहीं है। जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहा हूं। अतः राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–2013/09 दायर दिनांक 21.06.2013 निर्णय दिनांक 16.06.2017 पन्नागिरी बनाम प्रहलादगिरी वगैरा।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प मामडोदा में पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। नायब तहसीलदार डीडवाना नें दिनांक 10.03.2017 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली पर उपलब्ध है। पक्षकारान ने निवेदन किया कि इस रास्ते के अलावा आगे के खेतों में जाने हेतु सहमति से नजरी नक्शा अनुसार रास्ता देने के लिए तैयार है अतः नजरी नक्शा अनुसार भी रास्ता घोषित किया जावें।

नायब तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता व नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व पक्षकारों के सहमति के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 205/30 मौजा शिवनगरी में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 208/30 मौजा शिवनगरी के दक्षिणी सीमा के समानान्तरण की 4000 वर्गफुट अर्थात 05 बिस्वा भूमि जो नायब तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपॉर्ट दिनांक 10.03.2017 में मौके का नजरीनक्शा में मार्क लाल स्याही की लाईन से प्रदर्शित, को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार आपसी सहमति से पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार खसरा सं0 205/30, 208/30, 203/30, 211/30, 209/30 रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमलदरामद व तरमीम करें। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त मौका रिपोर्ट पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 16.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प मामडोदा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक:- 8/9/17

नोट:- वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार निर्णय में रास्ते की चौड़ाई का अंकन नहीं होने के कारण रास्ते की चौड़ाई 14 फुट कायम की जाती है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner